

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(09)नविवि/आहोर/2025-14286

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को आहोर (जिला-जालोर) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वेक्षण एवं क्षितिज वर्ष-2047 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त करती हैं:-

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील
1.	आहोर	AHORE	आहोर
2.	बागोतरा	BAGOTRA	आहोर
3.	भैंसवाडा	BHAINSWARA	आहोर
4.	खारा	KHARA	आहोर
5.	चरली	CHARLI	आहोर
6.	सनवाडा (जवाई नदी के उत्तरी भाग का क्षेत्र)	SANWARA (NORTH OF JAWAI RIVER)	आहोर
7.	भागली पुरोहितान (जवाई नदी के उत्तरी भाग का क्षेत्र)	BHAGLI PUROHITAN (NORTH OF JAWAI RIVER)	आहोर
8.	ऊण (जवाई नदी के उत्तरी भाग का क्षेत्र)	OON (NORTH OF JAWAI RIVER)	आहोर
9.	बिछावाड़ी (जवाई नदी के उत्तरी भाग का क्षेत्र)	BEECHHAWARI (NORTH OF JAWAI RIVER)	आहोर
10.	गोदन	GODAN	आहोर
11.	सामूजा	SAMOOJA	आहोर

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जालौर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, आहोर (जिला-जालौर)।
10. सहायक निदेशक/प्रोग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम